


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नं अहक की ता
6/2/18	<p> वकील जर्मी उपर। वकील जर्मी द्वारा दलबंदी की सूची के साथ सीमाशास्त्र रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। वकील जर्मी को बुला गया। वकील जर्मी ने बताया कि सीमाशास्त्र रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी के आदेश उदान करने की रूपा को। पत्रावली व पत्रावली के उपलब्ध सीमाशास्त्र रिपोर्ट का डवलोकन किया गया। डवलोकन से पता चला कि भूमि खण्ड 01/074 तन ग्राम मालनगर का सीमाशास्त्र किया गया है जो पत्थरगढी हल्का डारा रिया गया है। </p> <p> ऊपर जर्मी का आदेश पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तदुत्तर नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि भूमि खण्ड 01/074 तन ग्राम मालनगर पत्थरगढी हल्का कागवली की पत्थरगढी सीमाशास्त्र रिपोर्ट 5-1-2018 के अनुसार सिद्धे जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि पत्थरगढी सीवजोड एजेंटों को दक्षिण कट उन्नी उपलब्ध में की जावे। पत्रावली केवल मुद्रा होकर नष्ट से कम होकर दक्षिण कट हो। </p> <p style="text-align: right;">  (जगदीश प्रसाद जोड़) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना </p>	नं अहक की ता मान प्रार्थ आर्द पुत्र मण्डी भूमिध श्रीमान 1- य 3 हि ब भ वि 2- य